MR. CHAIRMAN: That is all right.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, basically, this question was put by my friend, Shri Ramachandraiah. I want to know from the hon. Minister whether the Government has imported 30,000 discs, wheels and accessories from Russia.

MR. CHAIRMAN: This does not arise out of the main question.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: No, Sir. This question is pertaining to track only. What I want to know is, whether the Government has imported 30,000 discs, wheels and accessories from Russia. Sir, accidents are occurring because of this equipment. I would like to konw from the hon. Minister whether they are defective or not.

MR. CHAIRMAN: This question does not arise out of the main question.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, railways and rait track exist in every country of the world. The amazing thing is that the issue of magnifying glasses, used to detect these cracks seems to be archaic and obsolete. My question is whether in any country of the world these magnigying glasses are used to detect cracks. Then, what is the cost of this ultrasonic equipment, which is the only facility available to us? I do not think it would be much expensive. Why did not procure two or three equipments earlier? *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Why are you interfering with him? *(Interruptions)*

श्री नीतिश कुमार : सर, जहां तक सवाल है मैग्रीफाईंग ग्लास का, अगर आपकी इजाज़त हो तो में उसे साथ लेकर आया हूं। जैसे डास्क्टर्स के पास स्टेकोस्कोप होता है, उसी तरह से हर गैंगमैन और रेलवे में जो काम करते हैं, उनके पास यह रहता है। ये घुमते रहते हैं, और मैग्रीफाई करके रेलवे के गैगमैंन इसको देखते हैं । इसके बाद यह मिरर किया जाता है, वे नीचे लगा कर उसको देखते हैं।

This is like a stethoscope which every doctor possesses. In the age of advanced technology. ..*(Interruptions)* Every gangman patrols...*(Interruptions)* I am reply to your question. Every gangman patrols on the track. He is supposed to do it...*(Interruptions)* I am replying. It remain with the gangman. He is supposed to have some equipments with him, so that he could detect cracks, otherwise, with the naked eye he cannot detect all the cracks. So, this magnifying glass and this mirror is provided to each and every gangman. This is part of their tool-kit. So far as modern technologies are concerned, we use ultrasonic devices. As I have mentioned, we use single rail-tester and double rail-tester. So far as the SPURT car is concerned, we have one. But this have become obsolute. We want to procure two more SPURT cars... *(Interruptions)*

Golden Pass to retired Officials

*62. SHRI SATISH CHANDRA SITARAM PRADHAN:†
SHRI SURESH A. KESWANI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to stale:

(a) whether it is a fact that retired officials of Railway Board are provided with a Golden Pass; if so, the criteria governing issue of such passes;

(b) what is the number of beneficiaries availing this facility at present;

(c) whether these passes are issued free of cost or any Ministry/Department bears the expenses; and

(d) whether Government are considering withdrawal of these passes in the light of difficult state of economy in the country?

THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

† The question was actually asked oh the floor of the House by Shri Satish Chandra Sitararm Pradhan.

श्री नीतिश प्रधान : सर, रेल मंत्रालय अलग-अलग लोगों को अलग-अलग किस्म के ट्रैक्ल करने के लिए पास देता है । जैसे हम सांसदों को एक तरह का पास दिया जाता है, रिटायर्ड सांसदों को अलग पास दिया जाता है, रेलवे सर्वेन्ट्स को अलग-अलग किस्म के पास दिए जातें हैं या और कुछ लोगों को भी दिए जाते हैं । मैं रेल मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे अलग-अलग कितने किस्म के पास दिए जातें हैं और वे किस-किस को दिए जाते हैं ? इस विषय पर कुछ जानकारी रेल मंत्री जी देंगे ?

श्री नीतिश कुमार : रेलवे में कई तरह के पास दिए जातें हैं । जो सर्विंग इम्पलॉयज हैं, आफिसर्स हैं, उनके पे-स्केल और उनके स्टेट्स के हिसाब से अलग-अलग तरह के पास ईश्यू किए जातें हैं । गोल्ड पास दिए जातें हैं, सिल्वर पास दिएं जातें हैं, ब्रॉन्ज पास दिए जातें हैं लेकिन जो सर्विंग रेलवे आफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटी के दौरान भी पास दिए जातें हैं और ड्यूटी के अलावा भी कुछ प्रिविलेज पास दिए जातें हैं । रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ कार्ड पास ईश्यू किए जातें हैं । मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने जो सवाल किया था, वह गोल्डन पास के बारे में नहीं, रेलवे बोर्ड के मैम्बर जो रिटायर कर जातें थे, उनको एक प्लेटिनम पास ईश्यू किया गया था 30 अप्रैल 1997 को । उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पब्लिक लिटीगेशन दायर हुई थी और उस पर 13 मई, 1998 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्डर पास यिका । हाईकोर्ट ने वह आर्डर पास किया । हाईकोर्ट ने वह आर्डर पास करके इस प्लेटिनम पास को क्वेश कर दिया । हमने इसके संबधं में 8.6.98 को अकार्डिगली एक आर्ड इश्यू कर दिया और वह पास कैंसिल हो गए । अब रेलवे बोर्ड के जो रिटायर्ड मैंबर्स हैं, उनके लिए भी वही तीन सैड जैसा दूसरे सभी आफीसर्स को मिलता है रिटारयमेंट के बाद के पास क्लास के होंतें हैं जिस क्लास का सर्विस के दौरान प्रिविलेज पास होता है । अगर कोई फर्स्ट ए.सी. का इनटाइटिलैंड हैं, को सेंकंड ए.सी. का इन्टाइटिल्ड हैं, वह जिसका भी इनटाइटिल्ड हैं उसको उसी के हिसाब से पास दिए जातें हैं । यही बात कई अन्य तरह के पासेस की तो कम्पलीमेंटरी कार्ड पासेस दिए जातें हैं जो मिनिस्टर का डिसकिशन होता है । चैक पास इश्यू किए जातें हैं जो मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या रेलवे बोर्ड के मैंबर्स हैं, उनके डिसक्रिशन पर इश्यु किए जातें हैं । लेकिन कब और किसको इश्यू किया जाएगा इसके बारे में गाइड लाइन्स हैं । हालांकि इसके बारे में हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, बहुत सख्त फैसला दिया था । अगर आदेश हो तो उस फैसले का जो रेलवेड पोरशन है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं । लेकिन उसका जिस्ट यही था, उसने कहा था इसको लिमिट करिए । हाईकोर्ट के फैसले के बाद, उनके निर्देश के हिसाब से हम ने कम्पलीमेंटरी कार्ड पास और चैक पास दोनों पर एक सीलिंग लगा दी हैं ।

श्री सतीश प्रधान : सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरी जानकारी है कि नीतिश कुमार जी और हम नाईक जी दोनों ने एक दिन के लिए यूज करने वाला और एक हफ्ते के लिए यूज करने वाला पास देना बंद कर दिया है क्योंकि उसे बहुत सारे पासेज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जातें रहें हैं । इस तरह के पास देना अब बंद हैं । लेकिन साथ ही साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि और उसे पासेज किन-किन लोगों को या कौन-सी कैटैगरीज को दिए जातें हैं, क्या इस विषय पर कुछ खास जानकारी मंत्री जी दे सकेंगे ?

श्री नीतीश कुमार : सर अभी फ्रीडम फाइटर्स को पासिस दिए जातें हैं । लेकिन इनकी कास्ट होम मिनिस्टरी बीयर करती है । भूतपूर्व रेल मंत्री, भूतपूर्व रेल राज्य मंत्री, भूतपूर्व रेल उपमंत्री को भी पास दिए जातें हैं । ओलम्पिक मेडलिस्ट्स है, जो एशियन कॉमन वेल्थ गेम्स मेडिलिस्ट्स हैं, द्रोणाचार्य अवार्डीज हैं इन सबको कम्पलीमेंटरी पास दिए जातें हैं । जो डिफेंस में विनर्स ऑफ गेलेंट्री अवार्डीज हैं, जो पुलिस में विनर्स आफ गेलेंट्री अवार्डीज हैं उनको भी पास दिए जातें हैं । The passes are given to President/Secretaries of National Sports Federation of India and State Olympic Association affiliated to the Indian Olympic Association including the IOA. The Check Passes are also given to railway licensed porters for "self once in a year for only second class sleeper. Besides the above categories, passes are also given to eminent persons, organisations engaged in social, cultural, educational, sports and welfare activities at the discretion of Minister of Railways. Again Check Passes are also given for single to and fro journies in deserving cases at the discretion of Ministers and Board Members. अब यह जो लास्ट कैटेगरी हैं इसके बारे में मैनें जवाब दे दिया है । जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उस पर हमने अमल किया है इसलिए सारी डिबेट पर परदा पड़ गया हैं । अगर आपकी इजाजत हो तो मैं होईकोर्ट के फैसले को पढ़कर सुना दूं ? ...(**व्यवधान**)...यह थोड़ा सा

हैं । इसकी सब लोगों को जान लेना चाहिए । इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए ।

Delhi High Court observations in their judgement, dated 13.05.1998 in CPW Number 2202 of 1997— इसमें उन्होनें बहुत टीका-टिप्पणी करते हुए कहा है, मैं समझता हूं कि जो टीका-टिप्पणी की बात है वह छोड़ दी जाए ।

"in order to ensure that such abuse or misuse of the discretionary powers may not take place in future, we requested the learned council appearing for the Railways that, on their own, the Railways must put a ceiling on number of free passes, check passes and card passes to be issued by the Minister in a year because it puts a very heavy strain on the public exchequer."

"The learned counsel appearing for the Railways, categorically stated that it is not possible to fix any upper limit on the discretionary quotas of the Minister. Ordinarily, this Court may not question the discretion which vests with the Minister if the same is exercised judiciously and for good and valid reasons. But as we have seen that there has been great indiscretion in exercising the discretionary power, therefore, we arc constrained to observe that a ceiling should be laid down with regard to the maximum number of such passes to be issued in a year. On the basis of past experience of normal use of this discretion, the Railways should specify the maximum limit. This should be done within three months. Our object in fixing the limit is that the discretionary quota of the Minister may not be misused or abused in future."

और उसी आदेश का पालन करते हुए –

The ceiling limits have been laid down as follows:—
Card passes: 300 numbers per annum.
Check passes: 2000 numbers per annum.

यह हम लोगों ने फिक्स कर दिया है । आंकड़ा जानना चाहें तो वह बहुत कम इश्यु हुआ है ।

SHRI SURESH A. KESHWANI: Sir, there are a number of public sector undertakings where a very large number of employees, at the end of their service merely get some compensation or whatever package that their corporation determines. Similarly, there are a large number of Government employees who work for their whole life, and at the end they are entitled to get their pension etc. I do not know the fundamental reason why this extra benefit of Golden Pass has to be given to the ex-employees of the railways. Every year we keep on increasing the fare. That means that every year their unearned wage keeps rising. The retirement benefit of these employees goes on rising. High-ranking officers are the ones who arc benefiting the most, whereas ex-MPs were denied this facility until very recently. There was nobody willing to consider this. They were not being allowed to get into a three-tier compartment. In view of this, will the Minister reconsider this position and discontinue giving passes of any nature to ex-employees of the Railways?

श्री नीतिश कुमार : सर, गोल्डन पास और सिल्वर पास रिटायर्ड इम्पलाइज को नहीं मिलतें हैं । प्लेटिनियम पास रेलवे बोर्ड के रिटायर्ड मेंम्बर्स को दिया गया था वह क्वैश कर दिया जाता है । सर्विस रूल्स के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट रेलवे इम्पाइज़ को हैं । हर रेलवे इम्पलाइज को सर्विस रूल्स के हिसाब से जिसकी जो इन्टाइटेलमेंट हैं, पोस्ट रिटायरमेंट काम्प्लीमेंटरी पास मिलते हैं । अब रेवले साथ एक्स-मेंम्बर्स को भी वही मिलते हैं । आपने इसके साथ एक्स एम.पी. की तुलना की, जहां तक इसका सवाल है, आप भी जानते हैं कि एक्स एम.पी. को कम्पलीमेंट्री कार्ड-पास मिनिस्टर के डिस्कशन पर इश्यु किए गए थे, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इल्लिगल करार दिया था । इसके बाद आर्डिनेंस जारी करके वह सुविधा बतौर जिस तरह पेंशन व अन्य सुविधांए मिलती हैं एक्स एम.पीज. को सरकार द्वारा बहाल की जा चुकी है । अब लोक सभा और राज्य सभा सेक्रेटेरिएट द्वारा एक्स. एम.पीज. को जो कार्ड इश्यु किया जाता है उससे उनको रेलवे में एक केम्पेनियन के साथ एसी.टू.टायर में ट्रेवल करने का अधिकार मिल चुका है ।

SHRI SURESH A. KESWANI: Sir, my question is about modification of the service rules.

MR. CHAIRMAN: Please. No, no. That is all right. Mr. M.N. Das.

DR. M.N. DAS: We have a difficult state of the economy in the country. Is the hon. Minister aware of the fact that tickctlcss travelling has become almost a normal feature in some railway zones of the country? If the Minister is aware of the fact, is he contemplating any effective steps or measures to stop this malpractice in order to save immense loss of revenue to the national exchequer?

श्री नीतिश कुमार : इस साल के बजट में टिकटलेस ट्रैवलिंग पर पैनल्टी की रकम 50 रूपये से बढ़ाकर 250 रूपये करने का प्रस्ताव रखा है तथा मेरा विचार है कि यदि यह सघन प्रक्रिया टिकटलेस ट्रैवलिंग के खिलाफ चलाई गई तो रिवेन्यू का लीकेज रूकेगा तथा टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी।

प्रो. रामगोपाल यादव : हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब देते हुए कहा है कि मिनिस्टर्स को रेल मंत्री को डिशक्रिशनरी पास देने का भी अधिकार हैं। मैं जानता हूं कि ये पास गाइडलांईस के हिसाब से दिए जाने चाहिए लेकिन उससे हटकर डिशक्रिशनरी पास दिए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने और आपसे पहले जो मंत्री थे उन्होनें कितने डिसक्रिशनरी पास जारी किए ? क्या यह सच है कि इससे पहले एक ही राज्य या एक ही जिले के लोगों के 60 और 70 प्रतिशत पास जारी किए गए थे ?

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, अभी इस विषय में सूचना रेडिली अवेलेबल नहीं हैं परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि 1.4.95 से 31.12.95 के बीच जो कार्ड इश्यू किए गए उनकी संख्या 407 थी तथा चेक पासों की संख्या लगभग 3300 थी।

प्रो. रामगोपाल यादव : जो प्रश्न मैनें पूछा मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं दे रहें हैं।

श्री नीतिश कुमार : मैनें 1995 के आंकड़े बताएं, यदि आप 1996 के आंकड़े जानना चाहता हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि 1.4.1996 से 31.12.1996 तक 265 जमा 315 कार्ड पास इश्यू किए गए थे तथा 1334 जमा 1827 पास इश्यू किए गए थे। 1.4.97 से 31.12.97 t)3! 319 3rf qra f?^ fan in ** 1H %fi 1R1 5247 3U 1757 f?^ fan in «* I 1.4.98 ^ 31.12.98 335 106 35^ TO 5?1^ fan in t <i*n 112 *MT 9 ^3; ira ^ fan in 11

*63. [The *questioner (Shri S.M. Krishna) was absent. For answer, vide col. 28 infra.]*

31.12.97 तक 319 कार्ड पास इश्यू किए गए थे तथा चेक पास 5247 जमा 1757 इश्यू किए गए थे। 1.4.98 से 31.12.98 तक 106 कार्ड पास इश्यू किए गए हैं तथा 112 जमा 9 चेक पास इश्यू किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा

@* 64. **श्री बरजिन्दर सिंह** :

श्री राज मोहिन्दर सिंह : †

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि सावर्जनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा से राशन कार्ठधारी परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सें राशन कार्डधारी परिवार की केवल आंशिक आवश्यकता ही पूरी हो रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबधं में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं और सरकार द्वारा राज्यों को खाद्यान्न का कोटा किन-किन आधारों पर आवंटित किया जाता है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे गए खाद्यान्नों की मात्रा राशन कार्ड धारक परिवार की समस्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार उपलब्ध होने वाली

@तारांकित प्रश्न सं. 64 और 72 साथ-साथ लिए गए।

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्द सिंह द्वारा पूछा गया।